भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4166
18 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

भुखमरी के कारण होने वाली मृत्यु

4166. श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भुखमरी से हुई मृत्यु संबंधी आंकड़े हैं;
(ख) यदि हां, तो पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान भुखमरी से हुई मृत्यु का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) भुखमरी से मरने वाली महिलाओं और बच्चों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): जी नहीं। किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा भुखमरी के कारण मृत्यु की कोई भी घटना सूचित नहीं की गई है।

सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के संदर्भ में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के माध्यम से लक्षित आबादी को अत्यधिक सब्सिडीयुक्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी को कवरेज प्रदान किया जाता है, इस प्रकार देश की लगभग दो-तिहाई आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न अर्थात चावल, गेहूँ और मोटे अनाज प्राप्त करने के लिए कवर किया जा रहा है।
